

## प्रेस नोट दिनांक 12.11.2020

1. दिनांक 11.11.20 को वादी श्री राजकुमार पुत्र बट्टी प्रसाद नि० कलाफरपुर थाना रौनाही द्वारा सूचना दिया गया कि नरैन्द्र कुमार पुत्र बच्चुलाल नि० कलाफरपुर थाना रौनाही अयोध्या आदि 04 नफर पुआल रखने की बात को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 527/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 11.11.20 को वादी उ०नि० श्री विजयन्त मिश्र थाना तारून अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि बबलू कुमार निषाद पुत्र रामकरन निषाद नि० सोनेड़ाड थाना तारून अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 01 अदद पिपिया में 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना तारून में मु०अ०सं० 447/20 धारा 60 आबकारी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 11.11.20 को वादी श्री रमेश कुमार पुत्र रामदुलारे नि० कटिया लोहिया थाना इनायतनगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यूपी 42 एबी 0511 मो०सा० का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी का टक्कर मार देना जिससे घायल हो जाना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 674/20 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 11.11.20 को वादी उ०नि० श्री सुनील कुमार थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रवेश कुमार पुत्र धिराउ प्रसाद नि० मुरली का पुरवा थाना पटरंगा अयोध्या आदि 04 नफर अभि०गण द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो के साथ रूपये की हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलना, मौके से मालफड 1600रू०, जामा तलाशी के 460 रू० व ताश के 52 पत्ते बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 227/20 धारा 13 जुआ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।